# चित्रकूट-पुलिस

**(1).** नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/‘‘शक्ति दीदी’’ द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व ‘‘शक्ति दीदी’’ अभियान के तहत आज दिनांक 01.01.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को “मिशन शक्ति” व ‘‘शक्ति दीदी’’ के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

**(2).** महान लुई ब्रेल की जयन्ती समारोह के आयोजन पर आज दिनांक 04.01.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा महान लुई ब्रेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नेत्रहीन विकासार्थ सामाजित संस्थान कर्वी चित्रकूट से प्रभात फेरी को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया । पुलिस अधीक्षक द्वारा कहा गया कि उन्हें इस गरिमामय आयोजन में आमंत्रित किए जाने पर प्रसन्नता है। आज विश्व ब्रेल दिवस पर लुई ब्रेल को नमन उन्होने, अंधेरे में भी दुनिया को रोशनी दी । उनकी यह विरासत हमें सिखाती है कि चुनौतियां कितनी भी बड़ी हो इच्छाशक्ति से सब कुछ सम्भव है। लुई ब्रेल मात्र 15 वर्ष की उम्र में उन्होने 06 डॉट्स वाली ब्रेल लिपि बनाई जो आज दुनिया भर में दृष्टिहीन लोगों के लिए ज्ञान का द्वार है। जिसके माध्यम से दृष्टिबाधित छात्र-छात्राओं के ज्ञान एवं कौशल का विकास हो

रहा है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने शिक्षा को समानता स्थापित करने वाली सशक्त लहर बताते हुए कहा कि रोजगार के अवसर खोजना और सृजित करना अत्यंत आवश्यक है, जिसकी सीमा हमारी सोच पर निर्भर करती है। उन्होंने उपस्थित छात्र-छात्राओं एवं व्यवस्थापकों को बधाई देते हुए कामना की कि विद्यार्थी शिक्षा के माध्यम से प्रदेश एवं देश का नाम रोशन करें।
प्रभात फेरी के अवसर पर समस्त गुरुजन एवं समाजसेवी सहित पारिवारिकजन मौजूद रहें।

**(3).** पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी एवं उनकी टीम ने डकैती व चोरी के वाँछित अभियुक्त को 26 नग बकरियां कीमत करीब 01 लाख रूपये सहित 2210/-रूपया नगद के साथ गिरफ्तार किया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-**

काऊ उर्फ नेगम अली पुत्र सज्जन खान उम्र 30 वर्ष निवासी लखनपुर थाना शंकरगढ़ जनपद प्रयागराज

**बरामदगीः-**

26 नग बकरिया

2210/- रूपये

**गिरफ्तारी का स्थान,दिनाँक,समय-**

इटवा डुडैला टॉवर के पास जंगल की ओर,03.01.2026,17.00 बजे

**संक्षिप्त विवरणः-**

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 22.12.2025 को वादी रामनरायण उर्फ तम्बा यादव पुत्र सुखलाल यादव निवासी कुसमी थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट ने सूचना दी कि दिनांक 21-12-25 को वादी तथा वादी के गांव के ही बब्बू यादव पुत्र दादू भाई यादव अपनी अपनी बकरियो को लेकर जंगल में बैरिहा के पास चरा रहे थे तभी जंगल से चार की संख्या में अज्ञात लोग हाथ में लाठी और कुल्हाडी लिए हमलोगो के पास आ गये। जिनको देखकर हमलोग भाग लिए लेकिन कुछ दूर जाकर गिर पडे और वे लोग लाठी डंडो से पीटने लगे और गाली गुप्ता करने लगे मेरे सिर,मुह पर लाठी-डण्डा व कुल्हाडी से मार कर बोले चुपचाप मेरे साथ चलो। गले में साफी लगा कर तथा बकरियो को हाक कर जंगल के अंदर ले गये। 03.00 बजे हमदोनो को हमी लोग की साफी से हाथ मुंह बाध दिए और कुल 26 नग बकरियों हाक कर महिपरवा पहाड़ की तरफ ले गये। इस सूचना पर थाना मारकुण्डी में मु0अ0सं0 55/2025 धारा 309(6) बीएनएस बनाम 04 अज्ञात व्यक्ति पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी को निर्देशित किया गया था।

दिनांक 03.01.2025 को मुखविर द्वारा सूचना दिया गया कि दिनांक 21.12.2025 को जो लोग कुसमी जंगल में चारगाहों के साथ मारपीट कर उनकी बकरियों को हकाकर ले गये थे, 26 बकरियों को दिनांक 25.12.2025 को ग्राम कररिया के जंगल से बरामद किया गया था। उसी में से एक व्यक्ति संदिग्ध इटवा डुडैला टॉवर के पास जंगल के किनारे खड़ा है। सूचना पर विश्वास करके अभियुक्त को इटवा डुडैला टॉवर के पास से व्यक्ति को समय 17.00 बजे पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूंछते हुए भागने का कारण पूंछा गया तो अपना नाम काऊ उर्फ नेगम अली पुत्र सज्जन खान उम्र 30 वर्ष निवासी लखनपुर थाना शंकरगढ़ जनपद प्रयागराज बताया साथ में यह भी बताया कि दिनांक 21.12.25 को मैं तथा मेरे साले का दामाद सलमान खान पुत्र अजमेर निवासी बेवहारी जिला शहडोल म0प्र0 व उसके दो साथी जिनका नाम पता मुझे नही मालूम। हमचारों लोग कुसमी जंगल से बकरी चरा रहे चारगाहों को मारपीट कर उन्ही के साफी से हाथ पैर बांध कर जंगल में उनको छोड़कर उनकी बकरियों को हाक कर बिछियन जंगल में ले गये थे।

बकरियों को गाड़ी में लाद कर ले जाने वाले थे लेकिन पुलिस को जानकारी हो जाने के कारण नही ले जा पाये। बकरियों को जंगल में ही बेड कर दो तीन दिन रखे थे, जब देखे कि नही ले जा पायेगें तो,हमलोग छोड़ कर हट गये। उन्ही बकरियों का पता लगाने व ले जाने की जुगाड़ में आया था कि आप लोगों ने पकड़ लिया। बकरियों को ले जाने वाले वाहन के बारे में पूंछा गया तो बताया कि किराये से वाहन को ले लेते थे। इस घटना से पूर्व दिनांक 05.12.2025 हम लोग डोडामाफी के मुरली पहाड़ी के जंगल से चारगाहों की बकरियों को चुराकर ले गये थे। चोरी की गयी बकरियों के सम्बन्ध में दिनांक 10.12.2025 को मु0अ0सं0 53/2025 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

प्रकाश में आए अभियुक्त काऊ उर्फ नेगम अली पुत्र सज्जन खान उम्र 30 वर्ष निवासी लखनपुर थाना शंकरगढ़ जनपद प्रयागराज को हिरासत में लिया गया तथा अभियुक्त सलमान खान पुत्र अजमेर निवासी बेवहारी जिला शहडोल म0प्र0 को प्रकाश में लाया गया।

**<u>गिरफ्तार करने वाली टीम-</u>**

1.श्री निशिकान्त राय प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी
2.उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार सिंह
3.उ0नि0 श्री रमेश सिंह
4.आरक्षी तेज सिंह
5.आरक्षी मंगला प्रसाद
6.मुख्य आरक्षी चालक देवीदीन

**(4).**अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस टीम ने 03 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

(i). उ0नि0 श्री संत प्रसाद चौकी प्रभारी मण्डी समिति द्वारा मु0नं0 185/2013 धारा 10 यूपी गुण्डा अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त भुवनेश्वर उर्फ बउवा पुत्र शिवनारायण निवासी बल्दाऊगंज कर्वी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(ii). उ0नि0 श्री नरेन्द्र यादव मय हमराह आरक्षी शुभम मिश्रा थाना राजापुर द्वारा मु0नं0 3895/2020 अ0सं0 103/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त देवीदयाल पुत्र बिन्दा सोनकर निवासी ग्राम छिबो थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(iii). उ0नि0 श्री हारून रसीद खां मय हमराह आरक्षी विजय पटेल थाना बहिलपुरवा द्वारा मु0नं0 5063/2024 अ0सं0 24/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त पप्पू पटेल पुत्र मतगंजन पटेल निवासी ग्राम खांच मजरा रूकमाबुजुर्ग थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।